संख्या-17/2017/178 /23-9-2017-16नाबार्ड/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह

विशेष सचिव,

उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुंख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-168/37पी.जे.(आ)/आर0एस0डी0-5/16, दिनांक 06.02.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद देवरिया के 01 कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-10 में उल्लिखित मांग की धनराशि रू0 60,86,000/- (रूपये साठ लाख छियासी हजार मात्र) के सापेक्ष सूची के स्तम्भ-11 के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि अर्थात रू0 60,86,000/- (रूपये साठ लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	मार्ग का नाम	शा0सं0 व दिनांक	जनपद का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	अब तक आवंटन /व्यय	अवशेष धनराशि	मुख्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RIDF-21	सलेमपुर से बठठा चौराहा होते हुए बरेली मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं 1400 मीटर सी0सी0 मार्ग सहित।	10/2016/1734/ 23-9-2015-54नाबार्ड (ओडीआर)/2015, दि0 27.03.2016	देवरिया	2.00	129.48	68.62	60.86	60.86	60.86

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-83-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
6- लोक निर्माण अनुभाग-10।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।